



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वर्णिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच. बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं. एमकेटी-नीलाम/0021/2015-विपणन

18 अगस्त, 2017

परिपत्र

विषय: वर्तमान खंड अवधि 2014-17 के लिए नीलामकर्ता और ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता का विस्तारण बाबत

बोर्ड ने, इलायची(अनुज्ञापन और विपणन)विनियम 1989 और उसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार, वर्तमान खंड अवधि 2014-17 के लिए बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रूप में प्रमाण पत्र[सी आर ई एस] की विधिमान्यता, जो 31 अगस्त 2017 को समाप्त होने वाली है, का विस्तारण करने का निर्णय लिया है।

वर्तमान नीलामकर्ता और ब्यौहारी अनुज्ञापनों की विधिमान्यता का विस्तारण 31 अक्टूबर 2017 तक किया जाता है।

इ-नीलामी चलाने वाले नीलामकर्ताओं को प्रतिभूति-जमा के रूप में बैंक-गैरंटी[बी जी] का नवीकरण 31 अक्टूबर 2017 तक करना और नवीकृत बैंक गैरंटी **28 अगस्त, 2017** से पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निदेशक(विपणन)

सेवा में,

सभी अनुज्ञप्त नीलामकर्ता और ब्यौहारी
प्रति : बोर्ड के सभी प्रादेशिक कार्यालय